

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

आईआरडीएआई (तृतीय पक्ष प्रशासक - स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016
IRDAI (THIRD PARTY ADMINISTRATORS - HEALTH SERVICES) REGULATIONS, 2016

विनियम 9(1) देखें
See Regulation 9(1)

पंजीकरण प्रमाणपत्र

Certificate of Registration

पंजीकरण संख्या: 003
Registration No: 003

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा मेसर्स मेडी असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड को उपर्युक्त अधिनियम के अधीन तृतीय पक्ष प्रशासक के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राधिकरण के द्वारा लगाई गई शर्तों और आईआरडीएआई (तृतीय पक्ष प्रशासक - स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के उपबंधों के अधीन होगा। पंजीकरण प्रमाणपत्र वार्षिक शुल्क के भुगतान के अधीन तब तक प्रचलन में होगा जब तक प्राधिकरण द्वारा इसे निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता।

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Authority hereby grants the Certificate of Registration to **M/S Medi Assist Insurance TPA Private Limited** to act as Third Party Administrator under the Act.

The certificate of registration shall be subject to conditions imposed by the Authority and the provisions of IRDAI (Third Party Administrator - Health Services) Regulation, 2016. The certificate of Registration shall remain in force subject to payment of annual fee, until it is suspended or cancelled by the Authority.

स्थान / Place : हैदराबाद / Hyderabad
दिनांक / Date : 19.03.2026

आदेशानुसार
By Order

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
के लिए और उनकी ओ से
For and on behalf of Insurance Regulatory and
Development Authority of India